न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :–2021/200
मुकदमा नम्बर:– 84/2021

दर्ज दिनांक:–25.03.2021
निर्णय दिनांक:– 27.06.2023

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी मुकेश कुमार योगी जाति जोगी निवासी ग्राम भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2. रतनलाल जोगी पुत्र श्री मूलचन्द जोगी जाति जोगी निवासी ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3. श्रीमती सरोज पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी गढ़वालों का बास तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पत्नी श्रीचन्द
2. ममता पुत्री कैलाशचन्द
3. महेश कुमार पुत्र श्रीचन्द
4. रविन्द्र कुमार पुत्र श्रीचन्द
5. मुकेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द
6. शारदा देवी पत्नी कैलाशचन्द
7. ललित कुमार पुत्र श्रीचन्द
8. मनोज कुमार पुत्र कैलाशचन्द
9. राहुल पुत्र कैलाशचन्द
10. रामजीलाल पुत्र बंशीधर (फौत)

10/1 बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल

जाति महाजन निवासीगण ग्राम भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

11. राज्य सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज्य राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा–घोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक:–27.06.2023

निर्णय

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम व पटवार हल्का भोड़की की सरहद में हाल खसरा नर. 3186 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 3615/3187 रकबा 0.041 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0910 है0 स्थित है, जिसे वाद–पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 का 5/7 हिस्सा अर्थात् 0.0650 है0 है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 10 ने अपने हिस्से 0.0650 है0 में से 0.0388 है0 भूमि गौरीशंकर मित्तल पुत्र तुल्लाराम महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 10 के पास शेष भूमि 0.0262 है0 है। गौरीशंकर पुत्र तुल्लाराम अपनी क्रयशुदा भूमि 0.0388 है0 में से 0.025428 है0 भूमि राजपाल पुत्र लालचन्द गढ़वाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा शेष 0.013372 है0 भूमि वादिया न. 3 को जरिये [illegible] दिया। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में वादी 1 व 2 की खातेदारी भूमि 0.025428 है0 भूमि [illegible] की खातेदारी भूमि 0.013372 है0 स्थित है। प्रतिवादी संख्या 10 के पास वर्तमान में 0.0262 है0 [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का 2/7 हिस्सा है। वादीगण ने अपनी [illegible] हल्का पटवारी भोड़की को फोटो प्रति पेश की तथा नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया। [illegible] द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

10.03.2021 को वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से बंटवारे वास्ते हल्का पटवारी की नकल चाही तो पता चला कि वादीगण की रजिस्टर्ड विक्रयशुदा खातेदारी भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ। हल्का पटवारी ने प्रतिवादी संख्या 13 का आदेश लाने पर ही नामन्तकरण दर्ज करने का कहा। वादीगण दिनांक 12.03. 2021 को प्रतिवादी संख्या 13 के पास क्रयशुदा खातेदारी भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी को आदेश करने का निवेदन किया तो तहसीलदार उदयपुरवाटी ने माननीय न्यायालय का आदेश लाने के लिए कहा इसलिए वादीगण को यह दावा घोषणार्थ पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि की घोषणा करवाने के बाद उक्त खातेदारी भूमि का हिस्से व कब्जे अनुसार विधिवत बंटवारा करवाना चाहता है। ताकि सही उपभोग कर सके। वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 से किसी भी तरह का विवाद नहीं है सब मौके पर अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण काबिज है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम व पटवार हल्का भोड़की की सरहद में हाल खसरा न. 3186, 3615/3187 रकबा क्रमशः 0.05 है, 0.041 है0 कुल रकबा 0.0910 है0 भूमि में वादीगण 1 व 2 को 0.025428 है0 भूमि का व वादी न. 03 को 0.013372 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को 0.0262 है0, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को 2/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। उक्त भूमि में वादीगण के हिस्से की घोषणा के बाद वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से 0.025428 है0 कब्जे के अनुसार विधिवत बंटवारा का आदेश दिया जावे तथा अलग से लगाम कायम करने का तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेश दिया जाना प्रार्थनीय है। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 10 बावजूद तामिल सूचना व बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी नं0 11 ने जवाब दावा पेश किया कि बिन्दु सं0 1 में अंकित तथ्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही हैं। बिन्दु सं0 2 में अंकित तथ्य राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 10 का 5/7 हिस्सा स्वीकार हैं। बिन्दु सं0 3, 4, 5, 6 में अंकित तथ्य वादीगण स्वयं सिद्ध करें। वादग्रस्त भूमि ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की में स्थित हैं। बिन्दु सं0 8 कानूनी हैं। बिन्दु सं0 9 में वादीगण ने दादरसी चाही हैं।

बहस वाद पत्र श्रवण कि गई। बहस के दौरान वादीगण वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम व पटवार हल्का भोड़की की सरहद में हाल भूमि खसरा नं0 3186 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 3615/3187 रकबा 0.041 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0910 है0 स्थित है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 का 5/7 हिस्सा अर्थात् 0.0650 है0 है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 10 ने अपने हिस्से 0.0650 है0 में से 0.0388 है0 भूमि गौरीशंकर मित्तल पुत्र तुल्लाराम महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 10 के पास शेष भूमि 0.0262 है0 है। गौरीशंकर पुत्र तुल्लाराम अपनी क्रयशुदा भूमि 0.0388 है0 में से 0.025428 है0 भूमि राजपाल पुत्र लालचन्द गढ़वाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा शेष 0.013372 है0 भूमि वादिया न. 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। राजपाल पुत्र लालचन्द गढवाल ने अपनी सर्म्पूण क्रयशुदा भूमि 0.025428 को जरिये विक्रय पत्र वादीगण नं0 1 व 2 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी मुकेश कुमार योगी व रतन लाल जोगी पुत्र मूलचन्द जोगी को विक्रय कर दिया। अतः ग्राम व पटवार हल्का भोड़की की सरहद में हाल खसरा न. 3186, 3615/3187 रकबा क्रमशः 0.05 है, 0.041 है0 कुल रकबा 0.0910 है0 भूमि में वादीगण 1 व 2 को 0.025428 है0 भूमि का व वादी न. 03 को 0.013372 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को 0.0262 है0, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को 2/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार वादीगण के हिस्से की भूमि का कब्जे के अनुसार विधिवत बंटवारा करने का आदेश दिया जाना प्रार्थनीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

हैं। सरकार पैरोकार ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर इस बाबत किये कि वाद पत्र स्वीकार करने में कोई ऐतराज/आपति नहीं हैं।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार हल्का भोड़की की सरहद में हाल खसरा नं0 3186 रकबा 0.05 है0, खसरा न 3615/3187 रकबा 0.041 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0910 है0 में प्रतिवादी संख्या 10 का 5/7 हिस्सा अर्थात् 0.0650 है0 हैं। मुताबिक सलंग्न विकय पत्रों अनुसार प्रतिवादी नम्बर 10 ने अपने हिस्से 0.0650 है0 में से 0.0388 है0 भूमि गौरीशंकर मित्तल पुत्र तुल्लाराम महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दिया। गौरीशंकर पुत्र तुल्लाराम अपनी कयशुदा भूमि 0.0388 है0 में से 0.025428 है0 भूमि राजपाल पुत्र लालचन्द गढ़वाल को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दिया तथा शेष 0.013372 है0 भूमि वादिया न. 3 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बेचान कर दिया। राजपाल पुत्र लालचन्द गढ़वाल ने अपनी सर्म्पूण कयशुदा भूमि 0.025428 को जरिये विकय पत्र वादीगण नं0 1 व 2 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी मुकेश कुमार योगी व रतन लाल जोगी पुत्र मूलचन्द जोगी को विकय कर दिया। सरकार पैरोकार को भी वाद–पत्र स्वीकार करने में कोई ऐतराज/आपति नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद–पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं0 3186 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 3615/3187 रकबा 0.041 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0910 है0 किस्म बारानी–2 में मुताबिक विकय पत्रों के अनुसार वादीगण 1 व 2 को हिस्सा 489/1750 अर्थात् 0.025428 है0 तथा वादीया नं0 3 को हिस्सा 3343/22750 अर्थात् 0.013372 है0 तथा प्रतिवादी नं0 10 का हिस्सा 5/7 के स्थान पर हिस्सा 131/455 अर्थात 0.0262 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादीगण का वाद–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा डिकी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम भोड़की पटवार हल्का भोड़की की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं0 3186 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 3615/3187 रकबा 0.041 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0910 है0 में वादीगण 1 व 2 को हिस्सा 489/1750 तथा वादीया नं0 3 को हिस्सा 3343/22750 तथा प्रतिवादी नं0 10 का हिस्सा 5/7 के स्थान पर हिस्सा 131/455 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं शेष प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 9 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगा। तदनुसार तहसीलदार गुढा गौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

27/6/23
उपखण्ड अधिकारी
(राजसिंह शेखावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:45:23 IST
Reason: SelfAttested